



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 फाल्गुन 1944 (श10)
(सं0 पटना 181) पटना मंगलवार, 28 फरवरी 2023

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

28 फरवरी 2023

अधिसूचना संख्या 02/2023-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 109, दिनांक 28 फरवरी 2023— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम-12, 2017) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद द्वारा, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या 13/2017-राज्य-कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 556, दिनांक 29 जून, 2017, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा-

उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण में, खंड (ज) में, “और राज्यों के विधान मंडल” शब्दों के स्थान पर शब्दों “, राज्यों के विधान मंडल, न्यायालयों और न्यायाधिकरणों” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 मार्च, 2023 से लागू होगी।

[(सं०सं -बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-14)02)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

28 फरवरी 2023

एस० ओ० 109 दिनांक 28 फरवरी 2023 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० सं -बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-14)02)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 28th February 2023

Notification No. 02/2023- State Tax (Rate)

S.O. 109, Dated 28th February 2023.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 13/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017 published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 556, dated the 29th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the Explanation, in clause (h), for the words “and State Legislatures” the words “, State Legislatures, Courts and Tribunals” shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 01st March, 2023.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-14)02)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 181-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>